आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
30/12/20	(see below)	

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 133/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

दाता श्री नथुनी सिंह, पिता–रछेया सिंह, ग्राम–दोर्रा, थाना–करपी, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत हैः–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
61	—	06 डी०	उत्तर– दक्षिण– पूरब– पश्चिम–

मौजा–दोर्रा, थाना नं०–67, थाना+अंचल–करपी, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, करपी के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया। दाता के तरफ से कोई उपस्थित नही हुए और न किसी के द्वारा आपति दर्ज किया गया। अंचल अधिकारी, करपी के पत्रांक 647 दिनांक 21.12.2020 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, करपी के जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ दान पत्र पर दाता का हस्ताक्षर है एवं गवाह के रूप में राम प्यारे सिंह एवं मधुसुदन सिंह का हस्ताक्षर अंकित है। अंचल अधिकारी, करपी ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि ठकुरी महतो, चौधरी लोहड़ी वगैरह, पिता–छदू वगैरह के नाम पर खतियान दर्ज है एवं दाता खतियानी रैयत के पिता है। नथुनी सिंह, पिता–रक्षेया सिंह के नाम से जमाबंदी चल रही है जो भूदाता स्वयं है। नंदलाल सिंह वगैरह वर्तमान में दखल कब्जा है जो दाता के पोता है। भूमि रैयति खाते की है जो धनहर है। अंचल अधिकारी, करपी ने प्रतिवेदित किया है कि दान पत्र में खेसरा नही है। खाता संख्या–61 में कुल 174 खेसरा है जिसका रकवा–39.31 डी० है। प्रस्तावित भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ खास, कैसरे हिन्द, मंदिर, मस्जिद, श्मशान, चिरारी आदि से मुक्त है। वर्णित भूमि पर भूदान दान पत्र के समय दाता का दखल कब्जा था।

अतः अंचल अधिकारी, करपी के जॉच प्रतिवेदन एवं भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 में उल्लेख है कि वैसे दान पत्र जिसमें खाता संख्या, मौजा अंकित है, लेकिन खेसरा अंकित नही है वैसे दान पत्र में संपुष्टि की कार्यवाई की जायेगी क्योंकि सम्पुष्टि के पश्चात् जमीन को चिन्हीत करना संभव है। अंचल अधिकारी, करपी के जॉच प्रतिवेदन एवं भूदान वितरण भूमि जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) के आलोक में भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि की बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 11 के आलोक में संपुष्टि की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

30/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्ता

अरवल।

31/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्ता,

अरवल।